फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

..... कृष्णा देवी ..... बनाम ..... राज० सरकार .....

दफा ..... 136 LR Act ..... नं. ..... 3/07 ..... सन् 2025

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
	9.7.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर नामान्तरण संख्या 446 विरासत निर्णय दिनांक 5/10/2021 में दर्ज प्रार्थी का नाम अमरी के स्थान पर कृष्णा दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया द्वारा विरासत इन्तकाल में दर्ज नाम को अन्तर्गत धारा 136 LR Act के मार्फत दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। विरासत इन्तकाल में दर्ज अंकन को प्रार्थी यदि दुरूस्त करना चाहता है तो उसके लिये विरासत इन्तकाल की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रा.पत्र 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र फैसल होकर दफ्तर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज०	